



AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A - 32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road,

New Delhi-110044, INDIA

Tel.: +91-11-49991700, 49991777

Fax: +91-11-49991800

E-mail: aksh@akshoptifibre.com Website: www.akshoptifibre.com CIN NO. L24305RJ1986PLC016132

August 27, 2021

To,

National Stock Exchange of India Ltd

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai-400 051.

BSE Ltd

Phirozee Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai- 400 001

Scrip Code: AKSHOPTFBR

Scrip Code: 532351

Subject: Submission pursuant to Regulation 30 & Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation, 2015.

Dear Sir/Madam.

Please find enclosed copies of Newspaper Publication published in "The Financial Express" and "Lokmat" on August 27, 2021 in compliance of MCA Circular 20/2020 dated May 5, 2020 and 02/2021 dated January 13, 2021, pertaining to the 34th Annual General Meeting (AGM) of the company to be held on Tuesday, September 28, 2021 at 11:30 a.m. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

Kindly acknowledge the same.

Aksh Optifibre Limited

(Gaurav Mehta)

Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

Encl: a/a

FINANCIAL EXPRESS

have become due for transfer to IEPF. The Company is also uploading the details of such shareholders on its website viz. www.nfil.in

Notice is further given to such shareholders to claim/encash the unpaid/unclaimed dividend from Interim Dividend 2014-15 onwards latest by November 12, 2021 so that the shares are not transferred to the IEPF Authority. It may please be noted that if dividend remains unclaimed/ unpaid as on the due date, the Company will proceed to initiate action for transfer of shares of such shareholders.

On transfer of the dividend and shares to IEPF, shareholders may still claim the same by making an application to IEPF in Web Form IEPF-5 as per the applicable Rules. The said Web Form is available on the website of IEPF viz. www.iepf.gov.in and on the website of the Company www.nfil.in

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Private Limited, Unit: Navin Fluorine International Limited, Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, Tel: +91 04067161622 / +91 04067161627, email ID: einward.ris@kfintech.com

For Navin Fluorine International Limited

Place: Mumbai Dated: August 26, 2021

е

n

d

d

PADMANABH MAFATI A GROUP

Niraj B. Mankad President Legal & **Company Secretary**

AKSH OPTIFIBRE LIMITED (10)

CIN: L24305RJ1986PLC016132
Regd. Office: F-1080, RIICO Industrial Area, Phase -III, Bhiwadi -301019, Rajasthan Corporate Office: A-32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi- 110044 Tel: No. 011-49991700, Fax No. 011-49991800

E-mail: investor.relations@akshoptifibre.com, Website: www.akshoptifibre.com

Information regarding 34th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means

Conferencing/Other Audio Visual Means
The 34th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Aksh Optifibre Limited ("the Company") will be held on 11:30 A.M. on Tuesday, September 28, 2021, through video conferencing("VC") / other audio visual means ("OVAM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, and various other circulars related thereto (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("the SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of AGM. transact the business as set out in the notice of AGM.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for financial year 2020-21 will be sent only through email to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The said documents will also be available on the website of the Company at www.akshoptifibre.com, the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the Company's RTAe-voting website at https://evoting.kfintech.com.

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on In e-Company is providing to its members a facility to exercise their right to voty on esolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-voting") and the business set out in the Notice of AGM may be transacted through E-Voting. The Company has engaged KFin to provide the facility of remote E-voting and facility of E-voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through KFin e-Voting System. The process and manner of remote E-voting, attending the AGM through VC/OAVM and the provided with a facility to act of the provided with a facility of the provided OAVM and E-voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for the members who have not registered their email address, has been provided

A member whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s) and who wish to receive through email, the notice of AGM and Annual Report 2020-2021 and obtain User ID and password to participate in the AGM through VC/OAVM and vote through E-voting system in the AGM or through remote E-voting can get his/her/its email address registered by following the procedure mentioned below

- a. For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to einward.ris@kfintech.com
- For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s.
- Members who have not registered their e-mail address and, therefore, are not able to receive the Annual Report, Notice of e-AGM and e-Voting instructions, may temporarily get their email address and mobile number registered with the Company's RTA, KFinTech accessing the link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx

for Aksh Optifibre Limited

Place: New Delhi Date: August 26, 2021

Gaurav Mehta Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

ARUNIS ABODE LIMITED

(formerly known as M. B. Parikh Finstocks Limited) CIN: L70100GJ1994PLC021759

Regd. Office: Desai House, Survey No. 2523, Coastal Highway, Umersadi, Killa Pardi, District - Valsad - 396125, Gujarat; Mobile: +91-70456 77788; Email: corporate@arunis.co; Website: www.arunis.co

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E - VOTING AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Notice is hereby given

- The 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 17th September, 2021 at 04:30 P.M.(IST) through Video Conferencing ('VC') Other Audio Visual Means ('OAVM'), without physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the 27th AGM dated 25th June, 2021, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, read with General Circular Nos. 14/2020 dated $8^{\rm th}$ April, 2020, 17/2020 dated $13^{\rm th}$ April, 2020, 20/2020 dated $5^{\rm th}$ May, 2020 and 02/2021 dated $13^{\rm th}$ January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/ 11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India "SEBI Circulars")
- In compliance with the Companies Act, 2013, the rules made thereunder and the aforesaid Circulars, the Notice of the 27th AGM along with a copy of the Annual Report for the financial year 2020-21, have been sent through electronic mode (email) to all those members who have registered their e-mail address with the respective Depository Participants ('DPs') or the Company or its Registrar and Share Transfer Agents ('RTA') viz., Link Intime India Private Limited. The said Annual Report along with the Notice convening the 27th AGM is also available on the website of the Company viz. www.arunis.co, website of BSE Ltd. viz. www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') viz. www.evotingindia.com
- Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 10th September, 2021 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the 27th AGM through electronic voting system of CDSL from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting"
- Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, 13th September, 2021 to Friday, 17th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the ensuing 27th AGM
- All the members are informed that:
 - the Ordinary and the Special business as set out in the Notice of 27th AGM may be transacted through voting by electronic means i.e. remote e-voting;
 - the remote e-voting shall commence on Tuesday, 14th September, 2021 at 9.00 A.M.:
 - the remote e-voting shall end on Thursday, 16th September, 2021 at 5.00 P.M.
 - the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means and during the AGM is Friday, 10th September, 2021;
 - any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the Notice of the 27th AGM and holding shares as on the cutoff date i.e. Friday, 10th September, 2021 may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or rnt.hrlpdesk@linkintime.co.in;
 - members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and orice the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for e-voting will also be available during the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting facility prior to AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast vote again during the AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members and list of beneficial owners as on the cut-off date i.e. Friday, 10th September, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM through e-voting system at the AGM;
 - The manner of remote e-voting and e-voting by the members holding shares in dematerialized mode and in physical mode and for the members who have not registered their e-mail address is provided in the notice of the AGM.
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the CDSL e-voting system, you may contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com of call on 022-23058542/43. Members may also write to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company at corporate@arunis.co or can call on +91-7045677788/9167869000.

For Arunis Abode Limited (formerly known as M. B. Parikh Finstocks Limited)

> Sd/-Hirak Patel

Place: Mumbai Date: 26th August, 2021

Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A50810

g



जयपर। टेनी आईएएस अधिकारी प्रतिभा वर्मा के यपुर की सर्वकता शाखा एवं जोन टीमों ने वालों एवं अतिक्रमियों पर कार्यवाही करते हुये 1 लाख 8 हजार 100 प्पये का कैरिंग चार्ज वसुला। ट्रेनी आईएएस अधिकारी वर्मा ने निगम के सभी जोनों की सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दौरान 40 चालान भी किये गये। कार्यवाही के दौरान उपायुक्त . सर्तकता सेवाराम बंजारा, उपायुक्त स्वास्थ्य सीमा शर्मा, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रिष्म कांकरिया सहित सर्तकता शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा सम्बन्धित जोनों के मुख्य सफाई निरीक्षक एवं अन्य

आयुर्वेद के निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं : डीएम



र। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त रिटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा नि:शुल्क परामर्श जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में श्याम कॉम्पलेक्स नगर परिषद रोड़ धौलपुर पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि हर पद्धति में अपनी विशेषताए होती है। जीवन को प्राकृतिक रूप से जीने में आयुर्वेद का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि योग और व्यायाम को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाए। योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। शरीर का स्वस्थ्य होना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आचार-विचार में प्राकृतिक स्वरूप को अपनाए। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में योग एवं आयुर्वेद पद्धति को अपनाकर बीमारी से टीक होने में मजबूत आधार मिला है। इस अवसर पर उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में कहा कि जिले में लगभग 58 प्रतिशत व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। धौलपुर शहर में टीकाकरण 94 प्रतिशत से अधिक एवं बाढ़ी में 90 प्रतिशत से अधिक किया जा चूका है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य योजना बनाकर वैक्सीनेशन कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की संभावना को रोकने िलए वैक्सीनेशन आवश्यक रूप से करवाए। उन्होंने आयुर्वेद विभाग द्वारा शुरू किए गए नि:शुल्क जांच एवं परामर्श शिविर में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की बात कही। इस अवसर पर आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉ. अनिल चंसौरिया, शिविर प्रभारी डॉ. विनोद गर्ग, रोटरी क्लब अध्यक्ष आदर्श त्यागी ने अपने विचार रखे। जिला कलक्टर द्वारा कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले आयुर्वेद विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सचिव आशीय शर्मा, समाजसेवी गौरव गर्ग सहित अन्य उपस्थित रहे। मंच संचालन रंजीत दिवाकर ने किया।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में संशोधन : रोजगार के अवसर बढाने. स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने को प्राथमिकता

दिया है।

गहलोत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार,योजना के अंतर्गत ऋण एवं ब्याज अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे। साथ हो, ब्याज अनुदान के लिए गवेदन प्रक्रिया को कई स्तर पर सरलीकृत

किया जाएगा। योजना के नए प्रावधान के अनुसार त्रश देने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी योजनाओं के तहत वितरित ऋग के प्रकरण में व्याज अनुदान के लिए आवेदन जिला स्वरीय साम्ब फोर्स समिति को भेजने की निवार्यता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों को जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर ही अनुदान के लिए पात्रता स्वीकार कर निस्तारित कर दिया जाएगा। राजस्थान बन को-ऑपरेटिव बैंक भी विभिन्न उपलब्ध करा सकेगा।

राजस्थान

नए प्रस्ताव के अनुसार, हस्तशिल्पी दस्तकार अथवा शिल्पी कार्ड धारकों को : लाख रूपए तक के ऋग पर ब्याज राशि का शत–प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में देय होगा। बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के 1 लाख रूपए तक के ऋग राशि के 100 प्रतिशत पुनर्भरण की वर्तमान

व्याज अनुदान हेतु पात्रता को संशोधित कर अधिकतम 25 प्रतिशत ऋग व्याज अनुदान हेतु पात्रता होगी। साथ हो, विनिर्माण एवं ग्रेवा क्षेत्र में कंपोजिट च्या का अधिकतम 40 प्रतिशत कार्यशील पूंजी तथा व्यापार क्षेत्र में कंपोजिट ऋग का अधिकतम 75 प्रतिशत कार्यशील पूंजी वाले प्रोजेक्ट को

हुगा । इसमें ब्याज अनुदा राशि का दो-तिहाई हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों को

योजना के तहत अपात्र उद्योग इकाई द्वारा ब्याज अनुदान का लाभ लिए जाने पर फोर्स प्रकरण को निरस्त कर सकेगी और चुकाई गई राशि 18 प्रतिशत दंडनीय ब्याज के साथ वसूली जाएगी। खनन, रियल स्टेट, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, अलाभकारी संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट आदि द्वारा संचालित गतिविधियों से

गहलोत द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री गहरतात द्वारा अनुमादित मुख्यमञ्जा । उद्योग प्रोत्साहन योजना की टिर्शिका में पात्र उद्योगों से प्रतिवर्ष गवेदन आमंत्रित किए जाने, ऋग स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर व्याज अनुदान देने का निर्णय लेने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। संशोधित योजना के अनुसार वर्ष के अंत में शेष रहे आवेदन पत्रों को आगामी वित्तीय वर्ष में ब्याज अनुदान का पात्र माना जाएगा। इन आवेदन पत्रों को आगामी वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों में शामिल कर इनको ब्याज अनुदान का लाभ देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना के तहत विभिन्न वित्तीय संस्थानों को ऋग वितरण तथा ब्याज बजट सीमा से अधिक के दायि सजित नहीं किए जाएंगे। इसमें हर स्तर पर

धरने में शामिल हुए । भोलानाथ

आचार्य संभाग प्रभारी अजमेर

भारतीय मजदूर संघ, कीर्ति

वर्मा, दिलीप कुमार जांगिङ, बीरबल मीणा, नरेंद्र सिंह, धनराज, चंद्र प्रकाश, रोहित मुहाल, श्रवण राठी, अनीश अख्तर, मनीष बैरबा, विजय

सिंह बैरवा, सुनील मीणा नंदलाल मोर्थ, महेशचंद शर्मा

सीता देवी, चंपा देवी, प्रकाशचंद राजस्थान विद्युत

महामंत्री सतीश कुमार, विजेंद्र

जॉगिड़, मनीष सांखला, रवि

त्रावर, मसूदा, पुष्कर, जवाजा

सहयोगिनी की इयूटी केन्द्रवार लगाई

अनिवार्यतः मास्क लगाकर आनी सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि कोई भी परीक्षार्थी मास्क के अभाव में

जाए। उन्होंने परीक्षार्थियों

परीक्षा से वॉचित नहीं रहे।

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य अथवा पिछड़े क्षेत्रों के उद्यमियों को प्राथमिकता दी एगी। त्रष्टा वितरण के लिए लक्षित बजट

का यथासंभव २० प्रतिशत तथा ख्याज अनुदान के लिए 15 प्रतिशत लाभ इन संवर्गों के उद्यमियों को दिया जाएगा। योजना में यथासंभव 30 प्रतिशत महिला उद्यमियों को ऋग प्रदान कराने में सहयोग एवं पाथमिकता ही जाएगी। विभिन्न पात्र उद्यमियों की ओर से ऋग

अथवा ब्याज अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों को एल्डरलाइन के माध्यम से वरिष्ठ 'प्रथम आओ-प्रथम पाओ' के सिद्धांत पर नागरिक घर बँठे किस प्रकार सहायता निस्तारित किया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिकड़े जिलों के आवेदन पत्रों को ता दी जाएगी। विभिन्न जिलों पंचायत समितियों अथवा नगरीय क्षेत्रों में त्रज्ञ राशि तथा ब्याज अनुदान के लिए आर्थोटेत लक्ष्य के विरुद्ध अधिकतम दोगुना तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार,

सभा शेणी के उदाधियों के साथ-साथ करा त्रष्टा की मात्रा वाले आवेदनों को प्राथमिकता से प्रदान कराया जाएगा. ताकि लगाकर उद्यमियों को लाभांवित किया जा सके। ब्याज अनुदान के लिए बजट उपलब्ध रहने की स्थिति में सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने हेतु लिए गए ऋग पर लाभ अंतिम वरीयता के रूप में दिया जाएगा।

प्रदेश को बालश्रम मुक्त बनाने के लिए समन्वित प्रयास करे : श्रम सविव

जयपुर । श्रम सचिव डॉ. नीरज के पवन ने कहा है कि प्रदेश को बालश्रम मुक्त बनाने के लिए संबंधित विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाएं मिलकर सक्रियता के साथ

झालाना स्थित राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के सभागार में बालश्रम रोकथाम के सम्बंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन का पोस्टर भेंट जयपुर। सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा को गुरूवार सचिवालय स्थित उनके कक्ष में जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर वे प्रतिनिधि एवं राजस्थान पोजेक्ट हेड श्री राजीव दुबे द्वारा वरिष्ट नागरिक हेल्पलाइन का पोस्टर भेंट किया गया।

डॉ. शर्मा ने बताया कि इससे वरिष्ठ नागरिकों को घर श्रेटे आपदा में सहायता और सरकारी व कानुनी एलडरलाइन के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई। साथ ही प्राप्त कर सकते हैं इस पर भी चर्चा

हुई। उल्लेखनीय है कि हेल्पलाइन के लिए राजस्थान में जेके लक्ष्मीपत युनिवर्सिटी एवं समर्थ एल्डरकेयर, सहयोगी संगठन हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और राजस्थान सरकार की पहल पर संचालित एल्डरलाइन टोल फी नंबर 14547 का पोस्टर जारी

हेतुक दर्तित करने हेतु आव्हान पत्र (दयम २१) न्यायलय अपर जिला एवं सेशन न्यायाचीत

महोदय रतनगढ (चरू)

विदन पत्र क्रमांक 06/2021 रीख पेती 04/09/2021 १६१ देशी...... अर्थोनण **खन्मम्** इदि अन्नाचीपण

. एण आएको चलरिये इस नोटिस से सा जंबाधारण आपका चलारण इस मारता स सु क्या जा रहा है कि साहादेशों उम्र 55 सहत र य. संकररायक जाति प्रजापत विकासी वार्ट न 5, स्त्रुपाई किता चुरू ने आपके विरुद्ध हार्यदन वायता प्राचा करने उत्तराधिकार प्रमाण सा न्यायालय में द्वारण किया है। जिससे अह

रीइर

कार्य करें। श्रम सचिव गरूवार को यहां

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

ई-निविदा सूचना क्रमांक : - 25/2020-21

वर निगम ग्रेटर जवपुर के फोर्स मैंक वाहनों के कलपुजें एवं रिपेयरिंग कार्य हेतु पंजीकृत मर्स से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रचत्र, विस्तृत सूचना एवं वर्ते आरि सम्पूर्ण विकरण बेबसाईट www.jaipurmc.org, www.sppp.raj.nic.in and www.sproc.rajasthan.gov.in पर स्टेट पश्लिक प्रोक्ट्रमेन्ट के UBN No. JMC2122GSOB00734 पर देखी जा सकती हैं। उपायक्त (कैंसज) ra. संसाद/भी/5218/2021-22

कार्यालय नगर परिषद धौलपुर (राज.)

हस्तान्तरण आपत्ति-विज्ञप्ति

सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि अग्रेयक द्वारा वरिये वयमान वसीयत अपने आवसीय पूचि को अपने इक में नामानाग उप विभावन कराना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपकी प्रेतान हो तो प्रणाण सहित दरातांत 07 दिला में कार्यात्तन में प्रस्तुन करें, अन्यान कर मुकरने अपनी पत्ता स्थानी किया कर विकास करेंगा.

क का आयोजन	छ. सं.	आवेदक का नाम व पता	राजस्य ग्राम	श्वसरा नम्बर	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (यर्गगज में)	भूषि रिश्चन	
	1.	श्रीमती अंजली पत्नी श्री कमलसिंह निवसी मुख्दारा, धीलपुर	धीलपुर	102	-	233	जगदीर राजीत के सामने	
की जाए : डीएम	2.	श्री पंकल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह उन्कुर निवसी नफ्ता रायबीत वसेदी, जिला धीलपुर	र्थालपुर	140	32 U	134.03	बगदीर टाक्षेत्र रिग्रय पीरपुर	
करें। कोरोना काल के चलते प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था	3.	श्री रामलखन पुत्र स्थ. श्री वदीप्रसाद खांति गुर्वर ग्राम विकास गीलपुर	भागतीपुरा	207	08	128.88	भागतीपुरा भौतपुर	
हेतु चिकित्सा विभाग को चिकित्सकीय स्टाफ एएनएम, आशा	आयुक्त, नगर परिषद, धौलपुर							

अक्ष ऑप्टीफाइबर लिमिटेड

CIN: 1.243650,1388PLC018152

-1080, की इंटिइट्स एटिंग, फेज-III, शिवाकी-301019, चाव केला २-02, दुला पत्ती- सील के-विपतित इंडिइट्स एस्टेट, कुट्टा पत्ति, वर्ष विश्वनी-110844 फोन नंदा 111-489750, केला मुं, 101-4897850 sebz selatona@akshop@fore.com नेबलाइट: www.akshop@fore.com

भूभ जा बन भी हैं।
पीति इसने में में प्रधा परण करने वाले काइएकरण कृष्णा करण कोतियों ने ये काई का बाद कर पंतिकृत को के समान्य में वोई एक एक्सिम हैं कहा बाद कर के पंतिकृत को के समान्य में वोई एक एक्सिम हैं कहा बाद कहा, आपने ही कि ने पूर्ण कर प्रधा है। कि के पान है का है कहा के प्रधा है का है कि के पान है के पान है कि के पान है के पान है के पान है कि के पान है कि के पान है कि के पान है के पान है कि के पान है के पान है कि

जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लगातार महत्वपुर्ण वं संवेदनशील निर्णय ले रही है। इस कर्ड़ में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को प्रशोधित कर उद्यमियों के लिए अधिक सुगम और लाभकारी बनाया जाएगा। यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के प्रावधानों और इसके लिए मार्गदर्शिका में संशोधन के प्रस्तावों का अनुमोदन कर

शाखाओं के माध्यम से इस योजना के

में प्रचलित सुविधा जारी रहेगी। संशोधित योजना में वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिकतम 10 करोड रूपए तक का त्रष्टा उपलब्ध करवाने और भूमि हेतु कुल ऋग राशि का अधिकतम 25 प्रति 10 करोड़ रूपए तक के ऋग तथा उद्योग के विस्तार, विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 1 करोड़ रूपए तक का ऋग उपलब्ध करवाने और भूमि हेतु कुल ऋग राशि का

भी योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत, सूक्ष्म उद्यमों को व्यापार हेतु अधिकतम 1 करोड़ रूपए का

न्? उद्यम इस योजना के लिए लाभ के पात्र

अनटान के लिए ऐपित आवेटनों में प्रतिवर्ष

बिजली कम्पनीयों में निजीकरण को लेकर विद्युत श्रमिको का धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री के नाम जापन जिलाधीश एवं अधिक्षण अभियन्ता को सौपा

विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों ने आंदोलन का आगाज निगमों किया। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध श्रमिक महासंघ के आह्वान पर विशाल प्रदर्शन कर एक दिवसीय धरना अधीक्षण अभियंता अजेमर हाथी भाटा वर हाउस कार्यालय पर प्रात: 10:00 बजे आरंभ हुआ। धरने को संबोधित करने

लों में डिस्कॉम संभाग संगठन मंत्री धर्मु पारवानी, संभाग प्रभारी भोला नाथ आचार्य व श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार जैन, अजमेर ग्रामीण वृत के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत विद्युत कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अमरचंद पथरियाँ विद्युत श्रमिक



महामंत्री आदित्य गहलौत, संगठन मंत्री राजेंद्र शर्मा, कमल ब्यावर ने अपने विचार व्यक्त किए। दोपहर 2:00 वर्ज अधीक्षण अभियंता अजमेर शहर वत नरेन्द्र भटनागर एवं अजमेर ग्रामीण वृत षीषराम वर्मा को ज्ञापन देने के उपरांत विद्यत कर्मी विशाल रैली के रूप में अधीक्षण अधियंता कार्यालय से कलेक्ट्रेट अजमेर पर पहुंचकर सभा के रूप में एकत्रित हुए। सभा को संबोधित करते हुए भारतीय मजदर संघ जिला उपाध्यक्ष

आनंद सिंह निहाल, जिलाध्यक्ष

विनीत कुमार जैन, संभाग संगठन मंत्री धर्मू पारवानी, प्रभारी आचार्य, विद्यत निगमों निजीकरण सरकारों द्वारा की गई इत्धर्मिता है जो कि श्रम विरोध एवं जनविरोधी है। विद्युत जैसे उद्योग का निजीकरण राष्ट्रव्यापी बेरोजगारी बेकारी एवं जनता को विद्यत आपूर्ति बाबत शोषण और भ्रष्टाचार से पीड़ित होने को विवश करने वाली है

प्रसारण श्रमिक संघ के सिंह रावत, सुरेंद्र गहलोत, कमल सिंह, करण सिंह, हेमंत शर्मा, ताराचंद कुमावत, श्रवण कुमार कोहली, तरुण कुमार, राजेंद्र पवार, राजू सिंह, उत्तम त्रिलोक सिंह, नारायण सिंह

केकेडी, सरवाड , किशनगढ, सराधना, उपखंडो से कार्यकर्ता

जिला के सभी विद्युत उपखंडों से भारी संख्या में विद्युत कर्मी

धरने के निमित्त अजमे

31 अगस्त को होने वाली प्रीडीएलएड परीक्षा की तैयारियों को लेकर हुआ समीक्षा बैठक का आयोजन परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र पर सामान रखने की व्यवस्था निःशुल्क की जाए : डीएम

जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में डीएलएड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभाकश्च में आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने डीएलएड परीक्षा की तैयारियों के सम्बन्ध मे जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त गई। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर मुकेश गर्ग ने अवगत कराया कि जिले में प्री बीएसटीसी परीक्षा 2021 की परीक्षा 31 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिला कलक्टर ने सम्बन्धित समस्त व्यवस्था पूर्ण कर लिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ताया कि जिले में उक्त परीक्षा के आयोजन हेत 86 परीक्षा केंद्र बना गए हैं, जिनमें से 71 राजकीय व 15 गैर राजकीय संस्थाओं में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा केन्द्रों में बाडी ब्लॉक में 11 परीक्षा केन्द्रों पर 2 हजार 40, बसेड़ी ब्लॉक में 14 परीक्षा पर 2 हजार 145, धौलपुर ब्लॉक में 39 परीक्षा केन्द्रों पर 6 हजार 585, राजाखे 7 ब्लॉक में 8 परीक्षा केन्द्रों पर हजार 185 तथा सैपऊ ब्लॉक में 14 परीक्षा केन्द्रों पर 1 हजार 965 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेगें। सभी केन्द्रों को सामग्री वितरण परीक्षा उपरान्त संग्रहण एवं उनकी मॉनीटरिंग हेतु 16 प्राधिकृत अधिकारी लगाए गए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर के साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी (मृ0) माध्यमिक शिक्षा धौलपुर, जिला शिक्षा अधिकारी (मु०) प्रारम्भिक शिक्षा व समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से तैयारियों के



सम्बन्ध में चर्चा की एवं परीक्षा के सफल संचालन हेतु निर्देश दिए। कोरोनाकाल के चलते भीड़भाड़ की रोकथाम एवं नियन्त्राण तथा बचाव हेत भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर व परीक्षा समाप्ति के उपरान्त प्रश्न-पत्र उत्तर पुस्तिकाओं (ओएमआर सीट) को उपयक्त स्थान तक सरक्षित पहुँचाए जाने सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक पुलिस बल जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा तैनात किया जायेगा। इसके अलावा जिले में एवं केंद्रों पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था भी पुलिस विभाग दारा की जायेगी। परीक्षा केंद्रीं पर विजली की व्यवस्था उपलब्ध करवाए जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता जवीवीएनएल धौलपुर बीएल वर्मा को जिले में उक्त परीक्षा के सफल संचालन हेत् 31 अगस्त को जिले में निर्वाध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। जिन परीक्षा केन्द्रों पर अथवा उसके आस-पास विद्युत के तार ढीले या लटकी हुए तार हो, को परीक्षा से पूर्व तुरन्त सही करावें। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों हेतु समुचित पेयजल व्यवस्था सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के

संस्था एवं अभियांत्रिकी विभाग के अभियन्ता के साथ समन्वय स्थापित करते हुए की जायेगी। अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी को 30 अगस्त से 31 अगस्त तक परीक्षा केन्द्रों पर निर्वाध जल सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा आने वाले विद्यार्थियों के मार्ग में पेयजल हेतु मुख्य मुख्य स्थान चिन्हित कर वहां स्वच्छ पेयजल व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य प्रबंधक रोडवेज को बसों की व्यवस्था के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य मार्गों पर बसों संचालन सनिश्चित करें। जिला परिवहन अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था करावाया जाना सनिश्चित करें ताकि वाहनों का जाम न लगे। उन्होंने 5 किलोमीटर पर चौक पोस्ट बनाने के निर्देश दिए ताकि टिकिट आदि में समस्या उत्पन्न न होने पाए। यह सुनिश्चित करें कि कोई विद्यार्थी बसों की छतों पर न बैठें और न लटकें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम व पछताछ केंद्र स्थापित किया जाए जिला रसद विभाग को निर्देश दिए कि होटल, रेस्त्रां, धर्मशालाओं आदि में खाने पीने की व नास्ते, भोजन आदि

की व्यवस्था हेतु संख्या को ध्यान में

रखते हुए व्यवस्था हेतु पाबंद करें ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एम्बलेंस व फर्सट एड व्यवस्था करने हेत् प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर मेडिकल टीम तैनात की जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कमरों की साफ सफाई एवं शौचालय एवं पेशाब घरों की साफ सफाई करवाया जाना सुनिश्चित

जिला कलक्टर ने शुरू की प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर नई व्यवस्था

बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि पत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के सामान आदि को रखने के लिए रैक बनाकर टोकन सिस्टम के आधार पर सामान, बैंग आदि रखने की व्यवस्था नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाए। इस हेतु एनएसएस व स्काउट के वॉलंटियर्स की मदद ली जा सकेगी

बनाया जाएगा परीक्षा के संबंध में पूछताछ सहायता केंद्र

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गुलाब बाग पर परीक्षा केंद्र व परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेत विशेष पछताछ केंद्र बनाया जाएगा। जहां प्रात: 9 बजे से सांय 2.30 बजे तक महायता उपलब्ध करवाई जाए।

31 अगस्त को सायं 2.30 बजे तक सभी ई-मित्र खुले रहेंगे

उन्होंने एसीपी बलभद्र सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि सुबह 9 बजे से 2.30 बजे तक ई-मित्रा खुले रखे जाएं। संग्रहण केंद्र से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पेपर्स का वितरण करवाये जाने हेतु 16 बस व पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में रूट चार्ट बनाकर व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिए ताकि सुरक्षित पेपर्स का वितरण करवाया जा सके। जिसका किराया भी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस जाब्ता मौजूद रहेगा। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अरविंद शर्मा, प्रारंभिक केदार गिरी, डाइट प्रधानाचार्य महेश मंगल, पीएचईडी विभाग लाल सिंह मीणा, एडीईओ एप्प सिंह सिकरवार, वीरी सिंह, रमेश चंद भानु, बिजली, पानी, रसद विभाग सहित अन्य शिक्षा विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।